समता आन्दोलन समिति (रजि.)

राष्ट्रीय कार्यालय : 18/2 -A, प्रेम नगर, जनकपुरी, तिलक नगर मेट्रो स्टेशन गेट नं. 4 के पास, नई दिल्ली - 110058

(पंजीकृत कार्यालय : 39, रामनगर -सी, झोटवाड़ा, जयपुर)

Website :www.samtaandolan.co.in Email :samtaandolan@yahoo.in

माननीय श्री पानाचन्द जैन संरक्षक (पूर्व न्यायाधिपति)

माननीय श्री अशोक कुमार सिंह संरक्षक (पूर्व मेजर जनरल)

माननीय श्री रामदयाल गोयल संरक्षक (पूर्व आई. पी. एस.)

माननीय श्री भागीरथ शर्मा संरक्षक (पूर्व आई. ए. एस.)

श्री इकराम राजस्थानी
सलाहकार, मो. 098290-78682

पाराशर नारायण शर्मा
अध्यक्ष, मो. 094133-89665

डॉ महावीर सिंह नाथावत
महासचिव, मो.07665555600

विमल चौरड़िया
महासचिव , मो. 094140-58289

ललित चाचाण
कोषाध्यक्ष , मो. 094140-95368

राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पदेन प्रदेशाध्यक्षः-

दिल्ली
कैप्टेन गुरविन्दर सिंह
मो. 09314142509

चण्डीगढ़
श्रीराम पंसारी
मो. 09876127663

हरियाणा
धर्मवीर सिंह
मो. 09355084877

मध्यप्रदेश
अशोक शर्मा
मो. 07552576022

उत्तर प्रदेश
गिरजेश शर्मा
मो. 09412445269

उत्तराखण्ड
सी. एम. डिमरी
मो. 09411103390

छत्तीसगढ़
आर. सी. द्विवेदी
मो. 09752592233

गुजरात
धीरज जे. पंचाल
मो. .09428600409

महाराष्ट्र
संजीव शुक्ला
मो. 09821390321

कर्नाटक
वेंकटरमनन कृष्णामूर्ति
मो. 09538966339

राजस्थान
पी. एन. शर्मा
मो. 09413389665

क्रमांक 21302 दिनांक : 05.12.2019

आदणीय श्रीमान् ओम बिड़ला जी,
अध्यक्ष, लोकसभा,
नई दिल्ली ।

आदरणीय श्रीमान् एम0वैकैयानायडू जी,
अध्यक्ष, राज्यसभा, नई दिल्ली।

विषयः- संविधान के अनुच्छेद, 334 में आरक्षण की अवधि बढाने वाले प्रस्तावित असंवेधानिक संविधान संशोधन बिल के लिए पार्टी व्हिप रोकने बाबत, तथा इसे सर्वोच्च न्यायालय की सहमति के लिए अनुच्छेद 143 के अधीन भेजने बाबत।

महोदय,

विनयपूर्वक निवेदन है कि केन्द्र सरकार की केबिनेट द्वारा दिनांक 4.12.2019 को प्रस्ताव पारित किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 334 में दिये गये आरक्षण की अवधि को पुनः दस वर्ष बढ़ाने के लिए संसद में संविधान संशोधन बिल लाया जावे। यह प्रस्तावित संविधान संशोधन बिल पूरी तरह असंवेधानिक है, भारतीय लोकतंत्र का मजाक है, करोड़ों राष्ट्रवादी मतदाताओं के साथ धोखा है, भारतीय संसद की गरिमा को गिराने वाला है। कृपया निम्न तथ्यों का अवलोकन करें-

(1) वर्ष 2000 एवं 2009 में किये गये इसी प्रकार के संशोधनों को निरस्त करवाने के लिये याचिका सं. 546/2000,60/2001, 132/2001, 451/2006, 255/2007, 269/2007, 312/2012, एवं 1276/2018 माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित हैं। नोटिसेज जारी किये हुए हैं। दिनांक 2.9.2003 को पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ गठित करने के आदेश भी हो चुके हैं। दो याचिकाएँ राजस्थान उच्च न्यायालय में भी लम्बित हैं जिनके लिए स्थानान्तरण आवेदन कं 645/2016 भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित है। दिनांक 29.10.2018 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जल्दी सुनवाई के आवेदन पर पुनः संविधान पीठ के समक्ष सुनवाई के आदेश किये हुए हैं।

(2) यह सर्वविदित है कि किसी भी प्रजातंत्र में प्रत्येक वोट का समान मूल्य होता हैं। प्रत्येक नागरिक को वोट देने एवं चुनाव लड़ने का अधिकार होता है। इस मूलभूत सिद्धान्त के विरूद्ध लोकसभा की 131 एवं विधानसभाओं की, सैंकडों सीटों पर पिछले 70 वर्षों से करोड़ों राष्ट्रवादी मतदाताओं को जाति के आधार पर इच्छित स्थान से चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित करना तथा उनके इच्छित व्यक्ति को चुनने के अधिकार से जाति के आधार पर वंचित करना पूरी तरह असंवेधानिक है। लोकतंत्र का मजाक है।

(3) यह सर्वविदित तथ्य है कि संसद का कोई भी राष्ट्रवादी सांसद इस जातिगत आरक्षण को आगे बढ़ाना नहीं चाहता। देश के करोड़ों राष्ट्रवादी मतदाता भी इसके विरोध में हैं। फिर भी राजनैतिक दलों द्वारा जातिवादी राजनीति के दबाव में आकर, जातिवादी राजनेताओं से ब्लैकमेल होकर अविधिक रूप से पार्टी व्हिप जारी करके सांसदों को स्वतंत्र, निष्पक्ष व राष्ट्रवादी मतदान के अधिकार से वंचित कर दिया जाता है। करोड़ों राष्ट्रवादी नागरिकों द्वारा चुने गये जनप्रतिनिधियों की आवाज को कुचल दिया जाता है। यह संविधान प्रदत्त **freedom of speech and expression** के मूल अधिकार का गला घोंटने वाला कृत्य है। संसद की गरिमा को राष्ट्रीय और अन्तराष्ट्रीय स्तर पर गिराने वाला है।

(4) यह सर्वविदित तथ्य है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा किहोटो होलोहॉन के प्रकरण में स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि किसी भी राजनैतिक दल द्वारा संविधान संशोधन को पारित करवाने के लिए तब तक कोई पार्टी व्हिप जारी नहीं किया जा सकता जब तक कि संविधान संशोधन के विषय को प्रमुख नीतिगत मुद्दा बनाकर जनादेश नहीं लिया गया हो। किसी भी राष्ट्रीय अथवा क्षेत्रीय दल के चुनाव घोषणा पत्र में अनुच्छेद 334 की अवधि बढ़ाने के लिए संविधान संशोधन लाने का मुद्दा समाहित नही किया गया है। अतः स्पष्ट है कि किसी भी राजनैतिक दल को प्रस्तावित उपरोक्त संविधान संशोधन बिल पारित करवाने के लिए किसी भी तरह का पार्टी व्हिप

जारी करने का अधिकार नहीं है। फिर भी यदि कोई पार्टी व्हिप जारी करती है तो वह माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का अपमान है। राष्ट्रवादी मतदाताओं से विश्वासघात है। खुले तौर पर किया गया आपराधिक कृत्य है।

(5) यह सर्वविदित तथ्य है कि करोडों राष्ट्रभक्त मतदाताओं द्वारा संसद में अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन इस स्पष्ट अवधारणा के साथ किया जाता है कि उनके प्रतिनिधि भारत के मौजूदा संविधान की परिधि में **(within the four corners of the constitution)** देश को चलाने के लिए आवश्यक विधायन कार्य करेंगे। उन्हें संविधान में संशोधन के लिए कत्तई नहीं चुना जाता है। उन्हें संविधान से छेड़छाड का कोई अधिकार नहीं दिया जाता है। ऐसी स्थिति में सांसदों द्वारा अपने निर्वाचनकर्ता, प्रजातंत्र के राजा, राष्ट्रवादी मतदाताओं की इच्छा के विरूद्ध जा कर संविधान संशोधन में भागीदार बनना खुला विश्वासघात है, संविधान के सम्मान की शपथ का उल्लंघन है। ऐसे सांसदों को तत्काल बर्खास्त करने का कानूनी प्रावधान बनाना चाहिए या उन्हें पुनः बुलाने का अधिकार **(Right to Rocall)** मतदाताओं को दिया जाना चाहिये।

(6) यह सर्वविदित तथ्य है कि संविधान के अनुच्छेद 334 में आरक्षण केवल दस वर्ष के लिए था एवं दस वर्ष पश्यात् इस प्रावधान को अनिवार्य रूप से स्वतः समाप्त हो जाना था। यह बाध्यकारी निर्णय पूरी संविधान सभा द्वारा विस्तृत विचार विमर्श के बाद सर्वसम्मति से लिया गया था जो कि भारतीय संवधान और प्रजातंत्र की मूलभूत संरचना का अतिआवश्यक अंग है। ऐसी स्थिती में प्रत्येक दस वर्ष पश्चात् इस अवधि को बढ़ाया जाना संविधान सभा के सभी 300 राष्ट्रभक्त सदस्यों का अपमान है। बाबा साहेब डा0 भीमराव अम्बेडकर का भी अपमान है। स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान हे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों का अपमान है।

(7) यह सर्वविदित तथ्य है कि भारत सरकार ने अनेक अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों**(International Treaties)** के अधीन भारत में प्रजातंत्र के मूलभूत सिद्धान्तों के रक्षण और संवर्धन की लिखित गारन्टी दी हुई है। इन महत्वपूर्ण बाध्यकारी समझौतों का उल्लेख हमारे द्वारा अपनी याचिका में किया गया है। ऐसी स्थिती में करोडों राष्ट्रवादी मतदाताओं को 70 वर्षों से अपने इच्छित स्थान से चुनाव लड़ने को वंचित करना तथा अपने इच्छित व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि चुनने के अधिकार से वंचित करना स्पष्टरूप से अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों का उल्लंघन है। अविधिक है। पूरे विश्व में भारत की साख को गिराने वाला कृत्य है।

अत आपसे प्रार्थना है कि उपरोक्त महत्वपूर्ण विधिक संवैधानिक, प्रजातांत्रिक और संसदीय मूल्यों की रक्षा के लिए आप कृपया:–

(1) प्रस्तावित संविधान संशोधन बिल को संसद में प्रस्तुत करने से केन्द्र सरकार को रोकें,
(2) माननीय सर्वोच्च न्यायालय को 20 वर्षों से लम्बित याचिकाओं का निर्णय तत्काल करने का निवेदन करें।
(3) महामहिम राष्ट्रपति को अनुच्छेद 143 के अधीन माननीय सर्वोच्च न्यायालय से उक्त प्रस्तावित संविधान संशोधन बिल पर सलाह लेने का आवेदन करें तथा
(4) सभी राजनैतिक दलों को किसी भी तरह का पार्टी व्हिप जारी करने से रोकें तथा सभी सांसदों को स्वतंत्र, निर्भीक, निष्पक्ष होकर उपरोक्त संविधान संशोधन बिल पर अपने राष्ट्रवादी मतदाताओं की इच्छा के अनुरूप मतदान में हिस्सा लेने को प्रेरित कर संसद की गरिमा बचायें।

सकारात्मक त्वरित कार्यवाही की अपेक्षा में अग्रिम धन्यवाद। सादर,

भवदीय

पाराशर नारायण
(राष्ट्रीय अध्यक्ष)

प्रतिलिपिः– श्रीमान्..., सांसद लोकसभा/राज्य सभा को सादर सूचनार्थ एवं राष्ट्रहित में आवश्यक कार्यवाही हेतू । सादर,